न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत बिघोता

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/128/10

1. पूरण पुत्र गोपेश जाति मीना निवासी नाथलवाडा तहसील राजगढ।

बनाम

1. अजूर्न पुत्र छोटू जाति मीना
2. भीमा पुत्र छोटू जाति मीना
3. कन्हैया पुत्र छोटू जाति मीना
4. जयनारायण पुत्र पन्ना जाति मीना समस्त निवासी नाथलवाडा तहसील राजगढ।
5. सब रजिस्ट्रार साहब राजगढ

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

15.05.2018 :—आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बिघोता पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट. का दावा इस्तकरारहक का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.07.2010 को पेश कर निवेदन किया है कि विवादित चाह खसरा संख्या 56/0.02 वाके ग्रम नाथलवाडा तहसील राजगढ से प्रार्थी को बेदखल नही करे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट मजामहत न करें, तथा रहन,बय आदि से दिगर जगह मुन्तिकल न करें।
प्रार्थना पत्र प्रार्थी कर इकतरफा बहस वकील प्रार्थी से सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.09.2010 तक इस आशय की जारी की गई कि वो विवादित चाह से प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट मजामहत न करें, तथा अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण एक से चार उपस्थित न्यायालय आये, तथा उनके द्वारा जवाब पेश किया गया।

मैन पत्रावली का स्वप्रेरणा से निर्णय हेतु कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बिघोता पर अवलोकन किया गया। जैसा कि उक्त प्रार्थना पत्र वर्ष 2010 से विचाराधीन चल रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ दावा इस्तकरारहक आराजी का भी इस न्यायालय में विचाराधीन है । जिसका निर्णय पक्षकारान की बाद सुनवाई साक्ष्य सबूतो पर होना शेष है। क्योकि उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट वर्ष 2010 से विचाराधीन चल रहा है। अतः उक्त प्रकरण मै दावे के निर्णय तक दोनो पक्षो की आराजी विवादित चाह खसरा संख्या 56/0.02 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ की मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट हाल विवादित चाह खसरा नं0 56/0.02 वाके ग्राम नाथलवाडा तहसील राजगढ के लिये दोनो पक्षकारान को दावे के निर्णय तक मौके की यथास्थिति नाये रखने के लिये पाबन्द करते हुऐ प्रार्थना पत्र कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा भण्डार हो।
निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट वाके ग्राम बिघोता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत बिघोता